राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

राधामोहन बनाम गोपाल

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की आंशिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली निरन्तर बहस हेतु दिनांक 27/03/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
27/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 15/04/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
15/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। सक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत निष्कासन व स्थाई निषेधाज्ञा हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 व 188 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 668 रकबा 10 ऐयर, खसरा नम्बर 705 रकबा 9 ऐयर, खसरा नम्बर 709 रकबा 11 ऐयर कुल किता 3 रकबा 30 ऐयर वाके ग्राम ग्वार ब्राहमणान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के सम्बन्ध में 05.01.1996 को वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादिया के कब्जे काश्त में दखल नहीं दिये जाने का अनुतोष चाहते हुये वाद प्रस्तुत किया। वादिया द्वारा अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि के खसरा नम्बर 668 की लगभग 4 ऐयर भूमि जो पूर्वी दिशा में है. पर लगभग 5 वर्ष पूर्व जून 1991 में प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर लिया जाना स्पष्ट अंकित किया एवं उक्त कब्जे को हटाये जाने बाबत प्रतिवादीगण द्वारा निरन्तर आश्वस्त किया जाता रहा कि उक्त आराजी आपकी है हम हमारे कब्जे को शीध्र अतिशीघ्र हटा लेगे, परन्तु प्रतिवादीगण बदनीयति पूर्वक मात्र आश्वासन देते रहे एवं दिनांक 04.12.1995 को उक्त आराजी से लगवा अन्य भूमि पर भी कब्जा करने की नियत से इकट्ठे होकर आये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण को खसरा नम्बर 668 के लगभग 4 ऐयर से बेदखली का अनुतोष चाहा एवं शेष भूमि पर वादिया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार के दखल नहीं करने का अनुतोष चाहते हुये स्थाई निषेधाज्ञा चाही। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	**राधामोहन बनाम गोपाल** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 8 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये | प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त वादी द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया गया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17/06/2025 पारित करते हुये प्रतिवादी संख्या 6 जा काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी , जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया |

अधिवक्ता उभयपक्ष की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये निष्कासन एवं स्थाई निषेधाज्ञा : प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुये खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष प्रदान किया गया है, जबकी विधि के प्रावधानों के अनुसरण में घोषणा का अनुतोष साक्ष्य-सबूतों का तनकीवार विस्तृत परिक्षण/विवेचन करते हुये किया जाना आवश्यक होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर सरसरी तौर पर तथ्य का विश्लेषण कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में प्रक्रियात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित की गयी है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानो के विपरित पारित होना जाहिर होने से निरस्तनीय साबित होती है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17/06/2025 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे बाद सुनवाई पक्षकारान साक्ष्य सबूत का तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे . तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 15/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर